क्षेत्रीय कार्यालय

चण्डीगढ़, दिनांक 26 जून 1991

सं० 12 बी० 34/13/2/86—प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनिमय, 1950 विनियम 10–ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने बटाला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम-10–ए (1) (ए) के अधीन

1. उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट
बटाला।

सदस्य

विनियम 10–ए (1) (बी) के अधीन

2. जिला, श्रम व सुलह अधिकारी,
बटाला।

विनियम 10–ए (1) (सी) के अधीन

3. (1) सिविल सर्जन, गुरदासपुर

(2) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्र, बटाला।

विनियम 10–ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री महेन्द्र सेन गुप्ता, महासचिव
फैक्टरी एसोसिएशन, बटाला।

5. बी०एम० गोयल
सचिव फाउण्डरी मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन,
बटाला।

6. श्री रमेश कुमार अग्रवाल,
न्यू इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, बटाला।

7. श्री पी०एस० गिल, मैसर्ज सर्वजीत मशीन टूल्ज,
बटाला।

विनियम 10–ए (1) (इ) के अधीन

8. श्री करतार सिंह,
महासचिव, आयरन एण्ड स्टील वरकरज यूनियन
(रजि०), बटाला (ए०आई०टी०यू०सी०)

9. श्री अजीत सिंह,
महासचिव,
जिला मैटल फैक्टरी वरकरस यूनियम, (रजि०)
(बटाला) (सी०आई०टी०यू०)

10. श्री जवाहर लाल,
महासचिव,
मकैनिकल वरकरज यूनियन (रजि०),
बटाला (बी०एम०एस०)

विनियम 10–ए (1)(एफ)

सदस्य सचिव

11. प्रबंधक,
स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
नजदीक बस स्टैण्ड, बटाला।

एस० एस० अबरोल,
क्षेत्रीय निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 जुलाई 1991

सं० के–14011/13/85–रा०रा०क्षे० यो० बोर्ड—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 की 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिनांक 08 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० के–14011/

13/85–रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड में एतद्द्वारा आगे निम्न–लिखित संशोधन किया जाता है, नामत :—

उक्त अधिसूचना में धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड ख, ग, घ के अन्तर्गत कार्य शक्तियों तथा कर्तव्य से संबंधित मद सं० 1, के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जाए :—

"परियोजना मंजूरी एवं मोनिटरिंग ग्रुप II"

परियोजना मंजूरी एवं मानिटरिंग ग्रुप का II गठन निम्न–नुसार है :—

1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (वित्त) शहरी विकास मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3. शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिध	सदस्य
4. योजना आयोग का प्रतिनिध	सदस्य
5. राज्यों तथा संघ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रभारी सचिव	सदस्य
6. वरिष्ठ योजना अभियंता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	संयोजक

ग्रुप को सौ लाख तक की परियोजनाओं को मंजूर करने तथा 5 लाख तक की अध्ययन कराए जाने की शक्तियां होंगी।

भारत के राजपत्र के भाग–III खण्ड 4 में 10–8–85 को प्रकाशित मूल अधिसूचना सं०–के–14011/ 13/ 85–रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड, दिनांक 10–7–85 को अधिसूचना सं०–के–14011/13/85– रा० रा० क्षे० पो०, बोर्ड दिनांक 14–12–87 द्वारा संशोधित किया गया था।

के० के० भटनागर
सदस्य सचिव

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 जुलाई 1991

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/ 89/भाग–1/928—जहां मैसर्स मोनलारीफ फारमैश्यूटीकल्स प्रा० लि० एक्स–ओखला फेस–II नई दिल्ली–110020 (कोड सं० डी० एल०) 4686 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि–नियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप–धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। दिनांक 1–4–88 से से 31–3–91 तक)।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

REGIONAL OFFICE

Chandigarh, the 26th June 1991

No. 12.V.34/13/2/86-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has re-constituted the Local Committee consisting of the following members for Batala area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A*(1)(*a*)

1. Sub-Divisional Magistrate, Batala.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A*(1)(*b*)

2. Labour and Conciliation Officer, Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*c*)

3. (i) Civil Surgeon, Gurdaspur.

   (ii) Incharge, Medical Officer, ESI Centre, Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri Mohinder Sen Gupta, General Secretary, Factories Association, Batala.

5. Shri V. M. Goyal, Secretary Foundary, Manufactures Association, Batala.

6. Shri Ramesh Kumar Aggarwal, New Industries Association, Batala.

7. Shri P. S. Gill, M/s. Sarabjit Machine Tools, Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

8. Shri Kartar Singh, General Secretary, Iron & Steel Workers Union (Regd.), (AITUC). Batala.

9. Shri Ajit Singh, General Secretary, District Metal Factory Workers Union (Regd), (CITU), Batala.

10. Shri Jawahar Lal, General Secretary, Mechanical Workers Union (Regd.), (BMS), Batala.

MEMBER SECRETARY

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

11. Manager, Local Office, E.S.I. Corporation, Near Bus Stand, Batala.

By Order
S. S. ABROL
Regional Director

NCR PLANNING BOARD

New Delhi-110001, the 4th July 1991

No. K-14011/13/85-NCRPB.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the National Capital Region Planning Board hereby further amends the National Capital Region Planning Board Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8th July 1985 as follows :

In the said Notification, in Item No. I, relating to Functions, powers and duties under Clause (b), (c) and (d) of sub-section 2 of section 22, the following shall be added at the end, namely, :—

Project Sanctioning and Monitoring Group II :

The Project Sanctioning and Monitoring Group II shall consist of :

CHAIRMAN

1. Member Secretary National Capital Region Planning Board

MEMBERS

2. Joint Secretary (Finance) Ministry of Urban Development or his representative

3. A representative of the Ministry of Urban Development

4. A representative of the Planning Commission

5. Secretary in charge of National Capital Region in the States and the Union Territory.

CONVENOR

6. Senior Planning Engineer National Capital Region Planning Board

The Group shall have power to sanction Project Plans upto rupees one hundred lakhs and towards conducting studies upto rupees five lakhs."

Principal Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 10th July, 1985 was published on 10th August 1985 in the Gazette of India Part III Section 4 and was amended vide notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 14th December 1987.

K. K. BHATNAGAR
Member Secretary